रेफरेन्स / 02 / 2020

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

1—बदनसिंह पुत्र भगवत
2—मोहनसिंह पुत्र जसमत } जाति जाट निवासी ग्रांम टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1—सम्पत पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी ग्रांम टाहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर

2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

.......अप्रार्थी

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

रेफरैन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 02.06.1981 तहसीलदार नदबई एवं नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 15.7.1981 बाबत गत खसरा नम्बर 514 ग्रांम टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर

उपस्थित :—

1—श्री कृष्ण कुमार सिंघल, अभिभापक प्रार्थी,

2— श्री पुरुषोत्तम मुदगल,अभिभापक अप्रार्थी—1

निर्णय **दिनांक 17.5.2024**

प्रार्थी0 ने यह रैफरेन्स विरुद्व अप्रार्थी0 व खिलाफ आदेश आवंटन आदेश दिनांक 02.06.1981 एवं आदेश तहसीलदार नदवई नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 15—7—1981 इस न्यायालय में दिनांक 22.10.2020 को पेश किया गया। प्रार्थी ने उक्त आंबटन आदेश दिनांक 02.06.1981 एवं नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 15—7—1981 को निरस्त कराये जाने हेतु यह रेफरैन्स प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. की तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर अभिभापक पुरुषोत्तम मुदगल का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया है। अप्रार्थी संख्या—1 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभापक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

रेफरेन्स / 02 / 2020
बदनसिंह वगे. बनाम सम्पत वगे

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरैन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहसीलदार नदबई ने गत खसरा नम्बर 514 रकवा 6 विस्वा का आंवटन रेस्पो. सम्पत के हक में किया गया है। यह खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 के मुताविक पूर्व साविक खसरा नम्बर 422 रकवा 9 विस्वा से बना है, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 776 रकवा 0.07 हे0 है, हाल खसरा नम्बर 776 रकवा 0.07 हे0 ग्रांम टोहिला पर जरिये नामान्तकरण संख्या 45 से अप्रार्थी सम्पत के नाम दर्ज किया गया है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, योग्य अभिभाषक का तर्क है कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत किसी को भी आंवटन नही किया जा सकता है और ना ही खातेदारी दी जा सकती है, इसलिये उक्त आबंटन आदेश एवं उसके आधार पर खोला गया नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य रहता है। उक्त विवादित आंबटन आदेश दिनांक 02.06.1981 को तहसीलदार नदबई द्वारा जारी किया गया है जबकि तहसीलदार को किसी भी कृषि भूमि का आंवटन किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 13 के अनुसार सभी आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही किये जा सकते हैं, तहसीलदार केवल मात्र सलाहकार समिति का एक सदस्य होता है जिसे आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 13(3ए) के तहत सलाहकार समिति की बैठक के लिए न्यूनतम कौरम तीन सदस्यों का होना अनिवार्य है परन्तु आवंटन आदेश सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 2.6.1981 को केवल दो सदस्य ही उपस्थित थे तृतीय सदस्य के बैठक में उपस्थित न होने के कारण कोरम पूर्ण न होने से भी आवंटन आदेश दिनांक 2.6.1981, अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आवंटन आदेश काविल निरस्त के रहता है। नियमों के तहत कोई भी सार्वजनिक उद्घोषणा नहीं की गई। विवादित भूमि का किस्म परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है, एसडीओ को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः आंबटन आदेश निरस्त किया जावे। योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों में यह भी बताया कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण का हित निहित है तथा विवादित आराजी प्रार्थीगण की आराजी से मिली हुई है एवं वादग्रस्त आराजी छोटी जोत पट्टी के रुप में है जो स्ट्रिप आफ लैंड की परिभाषा में आती है इसलिए प्रार्थीगण का सर्वप्रथम अधिकार बनता है जिसके आंवटन हेतु प्रार्थीगण हमेशा से प्रयासरत रहे हैं तथा प्रार्थीगण का ही आराजी पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही अप्रार्थी की आस पास कोई भूमि स्थित है।

.........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अप्रार्थी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। तहसीलदार नदबई ने बिना किसी पर्याप्त जांच व आधार के अप्रार्थी के हक में आंवटन विधिविरुद्ध किया गया है जो खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने रेफरेन्स देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में बताया कि उक्त नियम विरुद्ध किये गये आवंटन आदेश की प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.1.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दिये जाने से हुई है अप्रार्थी ने धमकी दी है कि जमीन हमारे नाम है विवादित भूमि से हम प्रार्थीगण का कब्जा हटाकर रहेगें। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान आरआरटी 2016(2) पेज 781, आरआरडी 1995 पेज 213, डीएनजे 2006(1)पेज 255, आर.आर.डी. 1996 पेज 16, 179, आर.आर.डी. 2019 पेज 430 , आर.आर.डी. 1992 पेज 465, की ओर आकर्षित करते हुये रेफरैन्स स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी का विवादित आराजी में कोई हितनिहित नहीं है और ना ही यह इस आंबटन से परिवेदित व्यक्ति है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता नहीं है, आवंटन भूमि की किस्म बारानी है जिसका आंवटन किया जा सकता है। आंबटन नियमानुसार किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी पर शुरु से ही अप्रार्थी सम्पत सिंह का ही कब्जा काश्त है उसी आधार पर अप्रार्थी सम्पतसिंह को विवादित आराजी का आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और ना ही इनका कभी कब्जा रहा है। आबंटन आदेश दिनांक 2–6–1981 का है और 40 साल बाद रैफरेन्स पेश किया गया है जो म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के रहता है। अप्रार्थी सम्पत आंबटन के बाद नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया गया है, अप्रार्थी विवादित आराजी पर काबिज खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी सम्पत का कहना है कि 40 वर्ष की खातेदारी को ऐसे ही रेफरेन्स से नहीं काटा जा सकता है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2018(1) पेज 299 उद्यरत करते हुये बताया कि रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है, प्रस्तुत रेफरेन्स इस स्टेज पर खारिज किया जावे। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया। विचाराधीन रेफरैन्स में अप्रार्थी0 के हक में आवंटन

.........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

आदेश दिनांक 02.6.1981 एवं उसके आधार पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 15–7–1981 को निरस्त कराये जाने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थीगण बदनसिह वगे. ने 40 साल बाद इस न्यायालय में आंबटन आदेश को जरिये रेफरेन्स चेलेन्ज किया गया है।

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स लगभग 40 साल की देरी से पेश किया गया है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम भी पेश नहीं किया गया है।

प्रार्थी का अपने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स की मद नम्बर 6 में यह कथन करना कि उप जिला कलक्टर या सलाहकार समिति को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, मौके के विपरीत भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बारानी परिवर्तित मानते हुये आवंटन कर दिया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 1994 अवलोकन किया उक्त जमाबन्दी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 422 रकवा 9 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, जब कि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत् 2028 में गत खसरा नम्बर से बने खसरा नम्बर 514 रकवा 0.06 पर भूमि की किस्म कॉलम में भूमि की किस्म बंजड दर्ज है, यानि उक्त दोनों जमाबन्दी में विवादित आराजी की भूमि की किस्म भिन्न भिन्न दर्ज हैं। आंबटन आदेश दिनांक 2.6.1981 में सम्पत पुत्र रामसिंह को विवादित आराजी खसरा नम्बर 514 रकवा 0.06 विस्वा किस्म भूमि बा0प्र0 का आंबटन किये जाने का उल्लेख है। पत्रावली में उपलब्ध सत्यप्रतिलिपि आंबटन आदेश दिनांक 2–6–1981 का अवलोकन किया गया उक्त आदेश में विवादित भूमि की किस्म परिवर्तित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

प्रस्तुत रैफरेन्स आदेश से प्रार्थी परिवेदित व्यक्ति नहीं है, और ना ही उसका विवादित आराजी में कोई हित निहित है।

प्रार्थी ने अपने रेफरेन्स की मद नम्बर 7 में यह अंकित किया है कि :–

> "...... विवादित आराजी खसरा नम्बर प्रार्थी की आराजी के मध्य में होने के कारण आंबटन नियमन के लिए प्रार्थीगण का सर्वप्रथम अधिकार बनता है जिसके आंवटन हेतु प्रार्थीगण हमेशा से प्रयासरत रहे हैं तथा प्रार्थीगण का ही आराजी पर कब्जा काश्त है ......वाद ग्रस्त आराजी छोटी पट्टी के रुप में है जो स्ट्रिप ऑफ लैंड की परिभाषा में आती है...... विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है।"

.........5

जिला कलक्टर
भरतपुर

रेफरेन्स / 02 / 2020
बदनसिंह वगे. बनाम सम्पत वगे

प्रार्थी के उक्त कथन से प्रश्न उठता है कि कौनसी जमाबन्दी को सही माना जावे आया विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता है, प्रार्थी के कथनो के अनुसार विवादित आराजी मौके पर स्ट्रिप ऑफ लैंड है या गैर मुमकिन रास्ता यह जॉच का विषय है कि क्या विवादित आराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 0.06 बिस्वा मुताबिक जमाबन्दी गैर मुमकिन रास्ता है, बजंड है, बारानी प्रथम है या स्ट्रिप ऑफ लैंड है। क्या मौके पर विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है......?

कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व प्रथमतः यह उचित होगा कि भिन्न भिन्न जमाबन्दी में भूमि की किस्म भिन्न भिन्न दर्ज है के बारे सत्यता की जांच कराई जावे तथा क्या विवादित आराजी मौके पर गैर मुमकिन रास्ता है ?

अतः आदेश है कि:—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स तहसीलदार नदबई को रिमान्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह जमाबन्दी सम्वत् 1994 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 422 रकबा 9 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत् 2028 में विवादित आराजी की किस्म भूमि बंजड दर्ज है, यानि उक्त दोनों जमाबन्दी में विवादित आराजी की भूमि की किस्म भिन्न भिन्न दर्ज हैं। आंबटन आदेश दिनांक 2.6.1981 में सम्पत पुत्र रामसिंह को विवादित आराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 0.06 विस्वा किस्म भूमि बा0प्र0 का आंबटन किये जाने का उल्लेख है। प्रार्थी के कथनानुसार विवादित आराजी स्ट्रीप ऑफ लेंड मोके पर बताई है के बारे में राजस्व रिकार्ड से विस्तृत जांच करें, कि क्या विवादित भूमि की पृथक पृथक जमाबन्दी में अलग अलग भूमि किस्म, किस आदेश से दर्ज हुई हैं, क्या मौके पर विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता के उपयोग में आ रही है, तथा हाल नक्शा व गत नक्शा की भी जांच करें कि क्या विवादित आराजी राजस्व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, के सम्बन्ध में अन्दर दो माह विस्तृत जांच करें । बाद जांच भूमिधारी तहसीलदार नदबई यदि यह पाये कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में है तो आंबटन आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय चाराजोही करें।

निर्णय आज दिनांक 17—5—2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर